समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 10 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अक्टूबर, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

फैसले में कोई त्रुटि नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

एससी-एसटी के उप वर्गीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिकाएं

नई दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को अनुसूचित जातियों ''एससी'' और अनुसूचित जनजातियों ''एसटी'' के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण में उप-वर्गीकृत कर वंचित समूहों को तरजीह देने की अनुमति देने से संबंधित एक अगस्त 2024 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार के बाद पिछले दिनों अपना फैसला दिया।

पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर कहा कि एक अगस्त के उसके फैसले में रिकॉर्ड को देखते हुए उसमें उसे कोई त्रुटि नहीं दिखती।

पीठ ने कहा, उच्चतम न्यायालय रूल्स 2013 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है। शीर्ष अदालत ने मामले में खुली अदालत में सुनवाई के लिए एक आवेदन को भी खारिज कर दिया।

> पीठ ने कहा, उच्चतम न्यायालय रूल्स 2013 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के नियमों के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर हुई थीं। मुख्य न्यायाधीश सहित सात न्यायाधीशों की बैंच ने 1 अगस्त 2024 के फैसले की समीक्षा की मांग अस्वीकार कर दी।

> न्यायालय ने अपने फैसले में एस.सी.-एस.टी. के बीच भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किया था।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार समीक्षा याचिका पर दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से अधिवक्ता की उपस्थिति के बिना न्यायाधीशों के कक्ष में विचार किया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने एक अगस्त 2024 के अपने फैसले में एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण को संवैधानिक रूप से स्वीकार्य माना था। न्यायालय ने अपने फैसले में एससी-एसटी के बीच भी क्रीमी लेवर के सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किया था।

न्यायालय ने अपने फैसले में एस.सी.-एस.टी. के बीच भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किया था।

देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए क्रियाशील है समता आंदोलन: पाराशर नारायण

धौलपुर। समता आंदोलन समिति धौलपुर द्वारा अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष समता आंदोलन समिति पाराशर नारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में देश में सभी जनों को समतावादी दृष्टिकोण से परिचित कराने तथा अपने हक के लिए स्वयं आगे बढ़कर न्यायालय के दरवाजे खटखटाने और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने पर सहभागिता पूर्ण चर्चा हुई।

प्रारंभ में समता आंदोलन समिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त ब्लॉक के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर से पधारे अतिथियों का पटका पहनाकर एवं मूमेंटो देकर सम्मान कराया।

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने समतावादियों से उद्बोधन में अपील की कि हमें जाति से परे हटकर देश के विकास हेतु सोचना होगा, इसके लिए किसी भी शोषित का साथ देना समता सैनिक का कर्तव्य है। प्रत्येक समतावादी विचारधारा के पोषक को संविधान के अंदर दी गई व्यवस्थाओं के तहत अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु लोक कल्याणकारी सरकारों और न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। उन्होंने धौलपुर जिले के अध्यक्ष परमार, पूर्व संयुक्त निदेशक मुकेश शर्मा, पूर्व उपनिदेशक एवं धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश गर्ग के साथ उनकी टीम को प्रत्येक ब्लॉक से सैकड़ो की संख्या में राष्ट्रवादियों को एकत्रित करने पर बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री राम निरंजन गौड़ ने कार्यकारिणी को मजबूती प्रदान करने तथा प्रत्येक अनुचित कार्य को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की अपील की। शैक्षिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बाबूलाल विजयवर्गीय ने शोषण के विरोध में प्रत्येक राष्ट्रवादी को हर वर्ग का सहयोग करने के साथ संवैधानिक प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से जानने के लिए ऐसे आयोजनों को आवश्यक बताया। जिले के धौलपुर ब्लॉक से गजेंद्र शर्मा प्रधानाचार्य, मुकेश बंसल, बाड़ी से अध्यक्ष ठाकुरदास बंसल, सचिव राजेश राजौरिया, राजेश शर्मा, बसेड़ी से अध्यक्ष प्रेमसिंह परमार, नत्थी सिंह परमार, सैंपऊ ब्लॉक से अध्यक्ष उमाचरण तोमर, हरेंद्र सिंह, राजाखेड़ा से अध्यक्ष मनीष उपाध्याय, चरण सिंह, संजीव श्रीवास्तव सरमथुरा से मुकेश गर्ग, हरिचरण शर्मा, मनियां से रामवीर शर्मा एवं शिवशंकर शर्मा ने कार्यक्रम में उद्बोधन दिया तथा अपने कर्तव्यों की पालना के साथ अधिकारों की प्राप्ति हेतु जागरूक होने की आवश्यकता बताई। जिले की कार्यकारिणी को विस्तारित करने की जानकारी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार ने दी। कुशल संचालन अतुल कुमार चौहान ने किया।

अध्यक्ष की कलम से

''सावधान!! आगे खतरा है।

साथियों,

बहुत पहले जब भाजपा के बड़े नेता और वकील अरुण जेट्ली ने कहा था कि हम जाति आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे लेकिन अप्रभावी बना देंगे। तब जिसे मज़ाक समझा गया था आज वो प्रत्यक्ष दीख रहा है। अब जातिवाद के नाम पर देश में एक भी नेता नहीं बचा है।

हालांकि तथ्य यही है कि समझ ही सभी समस्याओं का हल होता है। आजादी के 75 सालों बाद कम से कम जातीय आरक्षण के लिये तो ऐसा साफतौर पर कहा जा सकता है। अब इस दिशा में नये प्रयोगों की न तो आवश्यकता है और न ही संभावना ।

पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश और केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के चुनावों से स्पष्ट हुआ कि अब भारत के लिये जातिवाद नहीं अपितु क्षेत्रवाद एक गंभीर समस्या बन सकता है। प्रदेशों ने अपने यहाँ की नौकरियों में बिना किसी प्रावधान के अपने ही प्रदेश के नागरिकों को आरक्षण शुरू कर दिया है। यह प्रयास कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा है।

सरदार पटेल ने अपने लौह व्यक्तित्व का प्रयोग करके 565 रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र भारत बनाया था। समय रहते चौकन्ना और सक्रिय होने की आवश्यकता है कि देश किसी भी हालत में जातिवाद के कीचड़ से मुक्त होकर क्षेत्र वाद के दलदल में न फंसे। सुखद है कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है लेकिन सभी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं होवे। .

जय समता विजय समता

सम्पादकीय

''हरियाणा नजीतो ने व्हाईट कालर आंतक के खात्मे की शुरुआत की''

वाह हरियाणा वाह वाह, वाह, वाह। ये वाह किसी पार्टी अथवा सरकार के लिये नहीं है। हमें इससे कोई सीधा सरोकार नहीं है कि कौन की पार्टी जीतकर सरकार बनाती है और कौन सी विपक्ष में बैठेगी। हम केवल संवैधानिक शुचिता की प्रतिष्ठा पर संतुष्ट होते हैं। हरियाणा में ऐसा ही हुआ है।

चुनाव के बाद की एक टी वी बहस में कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को कहते सुना- ''भाजपा ने 35-1 का दांव खेलकर लोकतंत्र को कमज़ोर किया है''। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि कांग्रेस ने 1-35 करने का प्रयास करके न केवल हरियाणा की जनता को अपमानित किया वरन् देश को जातीय अधिनायकवाद में धकेलने का प्रयास किया है। वैसे कथित कांग्रेस राजस्थान और हरियाणा में जिस तरह जाट समाज को अंतिम और निर्णायक मानने की भूल की थी उसका उत्तर राजस्थान लोकसभा चुनावों में भले न मिला हो लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों में बहुत साफ-साफ शब्दो में दे दिया है।

जड़ों से खोखली काँग्रेस ने जिस तरह से जातिविहीन बनने जा रहे भारत राष्ट्र की पीठ में छुरा भोंक जाति जनगणना के नाम पर जो दॉव चला था उसकी हवा तो सुप्रीम कोर्ट के जातीय उपवर्गीकरण के आदेश और फिर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करके निकाल दी थी। लेकिन जातीय जनगणना के नाम पर ओबीसी को साधने के मंसूबे पर हरियाणा विधानसभा चुनावों ने पानी फेर दिया है।

वैसे एक बात तो साफ है कि देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय को समाप्त करना ही जातिवाद को खत्म करने को एक मात्र उपाय मान लिया है। इसका खामियाजा इन तीनों बड़े और समर्थ समाजों के साथ-साथ भारत देश को भी भुगतना पड़ रहा है और आगे न जाने कब तक भुगतना पड़ सकता है। कथित काँग्रेस द्वारा जाति-जनगणना का जो मुद्दा उठाया गया है उसने एससी-एसटी की धौंसपट्टी के साथ अब ओबीसी की धौंसपट्टी शुरू करवाने का प्रयास किया था जिसे हरियाणा के चुनाव परिणामों ने विफल कर दिया है।

भारत देश को हरियाणा का आभार प्रकट करना ही चाहिये जिसने देश को 35-1 के महामत से 1-35 के कुत्सित तंत्र को फेल कर दिया। इससे ये भी प्रमाणित हो गया कि पर्ची-खर्ची के नाम पर शासन करने वाला वहाँ का जाट समाज ओबीसी में मात्र अपने समाज को ही मानता था। इससे एक तरह का व्हाईट कालर आतंक फैला जिसे इस लेखक ने स्वयम् हरियाणा चुनावों में जाकर प्रत्यक्ष महसूस किया।

जाति आरक्षण के नाम पर भारत ने विगत 75 सालों मे बहुत कुछ भुगता है और इसकी कोई भी उपलब्धि अभी तक उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती है। जातियों की राजनीति करने का आरोप क्षेत्रीय दलों के स्थान पर अब राष्ट्रीय दलों पर अधिक है। इसमें कथित ईमानदार ''आम आदमी पार्टी'' भी शामिल है।

- योगेश्वर झाड़सरिया

'बंटोगे तो कटोगे'

पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट

योगी ने चुनाव सभा में हिन्दू मतदाताओं की चेतावनी देते हुये कहा, 'बंटोगे तो कटोगे'। अर्थ था हिन्दू मतदाताओं का विभाजन रोको। यदि हिन्दुओं के वोटों का विभांजन नहीं हुआ तो जीत निश्चित है। योगी की वाणी 'बंटोगे तो कटोगे' मंत्र बन गई। इसी भाषा में आरएसएस के नेता भी बोलने लगे। इसी को मोदी ने दूसरे रूप में कहा। कांग्रेस की जातिवाद नीति का यह सही उत्तर है।

मोदी और योगी ये दो नाम है जो भारतीय राजनीति में सबसे अधिक परिचित व चर्चित है। मोदी की देश व विदेश सभी जगह अपनी विशिष्ट पहिचान है जबकि योगी का दायरा सीमित है। दोनों ही कर्मठ कार्यकर्ता और प्रखर वक्ता है। दोनों की मेमोरी अद्भुत है। दोनों ही भारत माता के लाल है। दोनों का परिवार सम्पूर्ण देश है। दोनों को भाषण शैली श्रोताओं के मन की छू लेती है। फिर भी कुछ ऐसे विषय हैं जहां मोदी मोदी है और योगी योगी। एक भारत का प्रधानमंत्री है और दूसरा देश के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है।

उत्तरप्रदेश के राज्य के चुनावों में योगी ने जो जीत प्राप्त की और राज्य का शासन संचालित किया वह इतिहास का प्रश्न है राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयत्न किया तथा राज्य के लॉ एण्ड आर्डर को चुस्त बनाया। उत्तरप्रदेश में दंगे बहुधा होते रहते थे, योगी के कुशल शासन में वे बंद से हो गये। गुण्डे तडीपाड़ कर दिये, इन कारणों से राज्य का शासन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक अच्छा हो गया। गुण्डे, अराजकतावादी, आदि लोग योगी के नाम से ही कांपने लगे। विधानसभा के चुनावों में अच्छी सफलता प्राप्त की उत्तरप्रदेश का अपना नाम हो गया। यह सच है कि जब व्यक्ति सफलता की सीबी चढ़ने लगता है तो उसे गिराने वाले भी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। कहते है उसको अपनों ने ही योगों को धोखा दिया। फलस्वरूप संसद के चुनावों में नतीजा निराशाजनक आया। योगी व भाजपा के बड़े नताओं ने परिश्रम किया और पुन: अपनी स्थिति बनाने में सफल होने जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है।

राजनीति में सद्भावना का ग्राफ काफी नीचे जा रहा है। देश में केवल दो पार्टियों रह गई है। एक पार्टी है मोदी की या भाजपा और दूसरी पार्टी है इण्डिया ग्रुप की। जातिवाद का जहर राजनीति में फेल चुका है। भाजपा मानती है कांग्रेस केवल मुस्लिम मतदाताओं की पार्टी बन कर रह गई है। भाजपा को सोच रही है, कांग्रेस को हराना है तो मुस्लिम मतदाताओं में मत विभाजन करो। यूपी के चुनाव आमेठी का चुनाव अयोध्या के चुनाव स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोटों के विभाजन से कुछ नहीं होगा। इण्डिया गठबंधन से लड़ना है तो आपको हिन्दुओं के संगठन को टूटने से बचाना होगा। हिन्दू वोटों को बंटने से रोकना होगा। जातिवाद का चक्रव्यूह तोडना होगा। इससे भारतीय गंगा-यमुनी संस्कृति पर कोई विपरीत असर नहीं होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से शकुन परिहार की जीत इसका प्रमाण है।

हरियाणा का चुनाव आंखें खोलने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार भाजपा का नाम निशान ही कहीं जीतने वालों में नहीं दिखाई देता था, किन्तु नतीजों ने सबकी आंखें खोल दी। भाजपा अच्छी मेजोरिटी से जीत गई। इण्डिया अलायन्स हार गया। सारी भविष्य वाणियां झूठी साबित हुई। हरियाणा का रिजल्ट ऐसा आयेगा, कोई सोच ही नहीं सकता था। राजनीति के जानने वाले रहस्य से पर्दा हटाने में लगे रहे, किन्तु रहस्य वे भी उजागर नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, यह रहस्य उजागर है।

योगी ने चुनाव सभा में हिन्दू मतदाताओं की चेतावनी देते हुये कहा, 'बंटोगे तो कटोगे'। अर्थ था हिन्दू मतदाताओं का विभाजन रोको। यदि हिन्दुओं के वोटों का विभांजन नहीं हुआ तो जीत निश्चित है। योगी की वाणी 'बंटोगे तो कटोगे' मंत्र बन गई। इसी भाषा में आरएसएस के नेता भी बोलने लगे। इसी को मोदी ने दूसरे रूप में कहा। कांग्रेस की जातिवाद नीति का यह सही उत्तर है।

बंगलादेश में विद्रोह हुआ। सरकार का तख्ता पलट गया। नई सरकार ने हिन्दुओं की रक्षा के लिये कुछ नहीं किया। यों पाकिस्तान की तरह बंगलादेश में भी हिन्दू कभी सुरक्षित नहीं रहे। हिन्दू भारत के अतिरिक्त कहीं भी सुरक्षितं नहीं है। जहां हिन्दू मुसलमानों के साथ है वहां वे सुरक्षित नहीं है। भारत, हिन्दुस्तान है, भारत का कर्तव्य है कि वह पडोसी देशों में जहां हिन्दू है उनकी रक्षा करें। मुसलमान सब जगह फैले हुये हैं वहां वे सुरक्षित है, क्योंकि मुसलमान चाहे वे कहीं भी रह रहे हैं, अन्य मुस्लिम बन्धु उसकी रक्षा को तैयार है। भारत में मुसलमानों को वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो हिन्दुओं को है।

बंगलादेश भारत का पडोसी देश है अत: वहां हिन्दुओं की सुरक्षा, भारत की चिन्ता का विषय है। हिन्दू बंगलादेश में बंगाल के कट्टरपंथियोंके निशाने पर है। हिन्दुओं के उत्पीडन की घटनायें सत्ता परिवर्तन के बाद बढ़ रही है। यह निर्विवाद तथ्य है कि धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र के लिये बड़ा खतरा है। भारत का बंगलादेश की सरकार को समझाना होगा कि बंगलादेश का विकास भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही निर्भर है। भारत को कूटनीति से इस ज्ञान को बंगलादेश की सरकार को समझना चाहिये। भारत में चुनाव सालभर देश में कहीं न कहीं होते रहते हैं और भारत के चुनावों में मुसलमानों की एक अहम् भूमिका रहती है। अत: योगी का महामंत्र 'बंटोगे तो कटोगे'। हरियाणा चुनाव में भाजपा का शंखनाद हो गया।

हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की अपनी स्वयं की कोई ताकत नहीं है। कश्मीर में कांग्रेस 6 सीटें केवल इसलिये जीत पाई कि मुस्लिम मतदाताओं का नेशनल कॉन्फ्रेन्स का साथ उन्हें मिला। इण्डिया गठबंधन भाजपा के विरूद्ध सभी अन्य राजनीतिक पार्टियों का एक समूह है। कांग्रेस की हरियाणा में हार का एक मात्र कारण था, उसने छोटे दलों से दूरियां बनाई।

- शेष पृष्ठ चार पर

पौराणिक कथन : ''कृष्णव्रत''

भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत रखकर स्वर्ण चक्र दान किया जाता है।

वो न रहा ये भी न रहेगा,
जातिवाद भी अब न चलेगा।
वे चाहे जो कुछ भी करले-
भारत फिर सिरमौर बनेगा।।

कविता

''सात दोहे''

(१)
आरक्षण अब बन गया,
भारत का नासूर।
युवा जगत के कर रहा,
सपने चकनाचूर।।
(२)
तेरी मेरी याद में,
कथा रहे यमदूत।
आरक्षण बन घूमता,
खुली सड़क पर भूत।।
(३)
नेता अभिनेता सभी,
बहुत निभाते प्रीत।
आरक्षण को गा रहे,
देश खड़ा भयभीत।।
(४)
संविधान बस शब्द है,
आरक्षण बिंदास।
ज़ीरो लेकर भी रहें,
सब आरक्षित पास।।
(५)
गलियाँ बहुत उदास हैं,
राजमार्ग बेहोश।
युवा खून से चूसता,
आरक्षण सब जोश।।
(६)
असमंजस कुछ भी नहीं,
जातिवाद है शेर।
जो जन भी सच बोलता,
करता उसको ढेर।।
(७)
सारे नेता जोतते,
जातिवाद का खेत।
सभी धुरंधर कह रहे,
तेल मिले नहीं रेत ।।

– ऋषिराज राठौड–

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

जबकि एन.एम.थॉमस मामले में न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है–हम पीछे देख–पढ़ चुके हैं।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता–पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

न्यायालय स्वयं वही सबकुछ दोहराता रहा हैं, जिसे वह अनिष्टकारी बताता था। सचमुच जैसा हमारे प्रगतिशीलों की प्रवृत्ति रही है, हर न्यायाधीश पहले सुनाए गए निर्णय में ही नमक–मिर्च लगाकर प्रस्तुत करने के लिए विवश रहा है और इस प्रकार वह अधिकारों को कदम–दर–कदम अनिष्टकारी मोड़ पर ले जा रहा है।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता–पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

''पदोन्नति मे आरक्षण की व्यवस्था से केवल उपेक्षित कर्मचारियो की ही निष्ठा या कुशलता मे कमी नही आती, बल्कि इस पकार पदोन्नति करने वाले कर्मचारी या अधिकारी भी संतोषजनक सेवा नही दे सकते। चूँकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त रहेगे कि किसी भी स्थिति मे उन्हे पदोन्नति तो मिलनी ही है, अत: उनकी लगन से कार्य करने की प्रवृति नही रह जाएगी।

माननीय न्यायाधीश आगे कहते हैं, ''यदि कोई विधान(अथवा नियम) इस हद तक पहुँच जाता है तो वह लोकतांत्रिक बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है–'' अत: वास्तविक समानता लाने के लिए समाज में व्याप्त वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना तथा सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग को छूट प्रदान करना अथवा अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग को प्रतिबंधित करके सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।''

परिणामी समानता के बिना अवसर की समानता के सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है; क्योकि अवसर की समानता की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को अपेक्षाकृत कम उन्नत लोगों के नीचे दबाने में मदद मिले

अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो–वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

क्या अब इस तथ्य का कोई अर्थ नही रहा कि सभी कर्मचारी एक वर्ग के रूप में होते है और एक वर्ग के भीतर भेदभाव नही किया जा सकता ?

कोटे में कोटा : नई नायब कैबिनेट का पहला फैसला

हरियाणा में एससी आरक्षण के उप-वर्गीकरण को हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट की इस आब्जर्वेशन को लागू कर हरियाणा सरकार ने वंचित कल्याण का जो फैसला लिया है, उसका पूरे देश में बड़ा संदेश गया है। वहीं राजग शासित राज्य सरकारों के सामने इसे लागू करने का दबाव भी बढ़ा दिया है।

देश में हरियाणा विधान सभा के चुनाव इन अर्थों में सालों तक याद किये जायेंगे कि वहां जातिवाद का नाम लेकर जातिवाद को हराया गया। दोनों बड़ी पार्टियों ने जी-जान लगाकर जातिवाद के मुद्दे पर काम किया। कांग्रेस ने जहां जाति जनगणना के नाम पर धुर्वीकरण का प्रयास किया वहीं भाजपा ने अपने मैनिफियेस्टों में और सभी चुनाव सभाओं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एससी-एसटी में उपवर्गीकरण का संकल्प दोहराया।

दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि जनता भी अब जाति आरक्षण का कोई विकल्प चाहती है। और जो परिणाम होना था उससे कहीं अधिक अच्छा सामने आया। प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार हरियाणा में हुड्डा परिवार का आतंक की सीमा तक वर्चस्व देखने को मिला। जो कि इस चुनाव के बाद काफी तिरोहित हो गया।

इसी से हौसला पाकर हरियाणा की भाजपा सरकार ने शपथ लेने के अगले दिन ही कैबिनेट की बैठक में आरक्षण पर बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जाएगा।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसे आज से ही लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यों को अधिकार दिया है। अनुसूचित जातियों के जो वर्ग आरक्षण के लाभ वंचित रह गए हैं, उनके लिए कोटा बनाकर आरक्षण दिया जा सकेगा।

यह रहेगी आरक्षण के उप-वर्गीकरण की व्यवस्था

उप-वर्गीकृत आरक्षण के प्रयोजन के लिए हरियाणा में अनुसूचित जातियां दो श्रेणियों में होंगी। पहली अनुसूचित जातियां और दूसरी वंचित अनुसूचित जातियां 'डीएससी'। सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से आधा यानि 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा।

यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ही अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। इसी प्रकार यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ही वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा।

सरकारी नौकरियों की भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अंतर-वरिष्ठता भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई कामन मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी। एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाई जाएगी।

यूडीसी की वरिष्ठता सूची नियुक्ति के समय की योग्यता सूची अनुसार हो: राजस्थान हाईकोर्ट

एलडीसी से यूडीसी पद पर वरिष्ठता मामले में कोर्ट के निर्देश

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर वरिष्ठता सूची तैयार करते वक्त जिला स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति के समय तैयार की गई योग्यता सूची में उसकी स्थिति को ध्यान में रखा जाए न कि उसकी नियुक्ति या ज्वाइनिंग की तारीख। ।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ में गोरवर्धन कुमार व अन्य की ओर से याचिकाए पेश की गई थी। याचिकाओं में बताया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत पंचायत समितियों में नियुक्त एलडीसी ''कनिष्ठ सहायक'' की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय योग्यता के स्थान पर विचार किया जाना चाहिए न कि नियुक्ति की तारीख पर।

जब याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में सम्बंधित पंचायत समिति या जिला परिषद में अपना कार्यभार संभाला था। याचिकाकर्ता एलडीसी ''कनिष्ठ सहायक'' के पद पर कार्यरत है उनकी वरिष्ठता सूची राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 285 के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में प्रतिवादियों को नियम 285 के अनुसार याचिकाकर्ताओं के मामले पर पुर्नविचार करने का निर्देश दिया। 1996 के नियमों के अनुसार एलडीसी ''कनिष्ठ सहायक'' को यूडीसी ''वरिष्ठ सहायक'' के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए नियुक्ति आदेश याचिकाकर्ताओं की योग्यत स्थिति को ध्यान में रखे।

सुप्रीम फैसला: जेलों में जातीय भेदभाव संविधान के खिलाफ

नई दिल्ली। जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि पिछड़ी जातियों के कैदियों को सफाई, झाड़ू लगाने और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम देना जातिगत भेदभाव है। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज कर दियाए जिनके मुताबिक जेलों में कैदियों को जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा कि जेल रजिस्टरों में जाति का कॉलम हटाया जाना चाहिए।

सीजेआइ डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में जाति-आधारित कार्य आवंटन खत्म करने के लिए 3 माह में जेल मैनुअल 2 में संशोधन का निर्देश दिया। केंद्र को भी जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ जेल नियमों में बदलाव का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि मैनुअल में आदतन अपराधियों का संदर्भ उनकी जाति या जनजाति के बगैर विधायी परिभाषाओं के मुताबिक होना चाहिए। पीठ ने कहा- क्रूरता रहित मानवीय व्यवहार किया जाए। जाति के आधार पर कैदियों को अलग करने से जातिगत भेदभाव को बल मिलेगा। कैदियों को भी सम्मान का अधिकार है। कैदियों के साथ मानवीय और क्रूरता रहित व्यवहार किया जाना चाहिए। कैदियों को सम्मान न देना औपनिवेशिक व्यवस्था का अवशेष है। पीठ ने जाति के आधार पर भेदभाव के मामलों से निपटने के लिए पुलिस को ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया।

पृष्ठ 2 का शेष -

बंटोगे तो कटोगे

जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेन्स और वामदलों के साथ गठबंधन में लड़ी 39 सीटें दी गई किन्तु वह केवल 6 सीटें जीत सकीं। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेन्स अपने हिस्से की 55 में से 42 सीटें जीतने में सफल हुई। उमर अब्दुल्ला को संयुक्त रूप से लीडर चुना गया है। उनका मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। आप को एक सीट मिलने पर भी वह कह रही है हम सरकार बनायेंगे, किन्तु कांग्रेस 6 सीटों के चाद भी गठबंधन से दूर रहना चाहती हैं और अपनी पसन्द की सीटें लेना चाहती है जबकि एनसी उन्हें एक स्थान केबीनेट में देना चाहती है।

जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेंगी। उमर अब्दुल्ला के पास पर्याप्त नम्बर विधायक सरकार बनाने के हैं किन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, कांग्रेस सरकार बनाने वाले ग्रुपों में होगी या नहीं।

उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेगी किन्तु क्या वह सरकार 370 अनुच्छेद को पुन: लागू करा पायेगी, यह कहना कठिन है। उमर अब्दुल्ला का कथन इस बाबत स्पष्ट नहीं है किन्तु वे समझ चुके हैं कि 370 वापिस लाना सम्भव नहीं है। भाजपा ने स्पष्ट किया है वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिये उचित कदम उठायेंगे। केन्द्र सरकार साथ देगी। राजस्थान, महाराष्ट्र व झारखण्ड में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। बिहार में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव देश में होते रहते हैं, किन्तु अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनावों के समय वातावरण बना वह विचार का विषय है। नेशनल कॉन्फ्रेन्स के नेता भी जो 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, वे भी मन में इस बात को जानते थे कि इसे वापिस लाना पुन:स्थापित करना सम्भव नहीं है। उमर अब्दुल्ला को सदन का नेता चुने जाने के बाद कई प्रकार से अपने स्टेण्ड को जनता को समझाने का बयान दिया किन्तु उनकी भावना स्पष्ट थी कि 370 को पुन: स्थापित किया जाना संभव नहीं है। उमर तथा नेशनल कॉन्फ्रेन्स के नेता फारूक अब्दुल्ला ने माना कि चुनौतियां तो बहुत है, किन्तु एक बात निश्चित है उन्हें जम्मू कश्मीर की भलाई के लिये उसके विकास के लिये हिन्दुओं का विश्वास तो हासिल करना ही होगा। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है,किन्तु पक्ष व विपक्ष होने का लक्ष्य एक ही है, यानी जम्मू कश्मीर का विकास। जम्मू कश्मीर की सरकार आपसी सद्भाव व विश्वास के आधार पर ही चलेगी।

जम्मू कश्मीर में जनता ने अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद, पत्थरमार, सब कुछ सहन किया है और 370 हटाये जाने के बाद के जम्मू कश्मीर के विकास को देखा है, वहां टूरिस्ट की चाह देखी है, शान्ति देखी है, युवाओं की महत्वाकांक्षा को देखा है। वे रोजगार के अवसरों को देख रहे हैं। भाजपा के पास विधानसभा में एक ही कार्य है, जम्मू कश्मीर का विकास हो, राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, युवाओं को शिक्षा प्राप्त हो रोजगार मिले, नौकरियां मिलें और कश्मीर विश्व का श्रेष्ठतम हिल स्टेशन बने। विधानसभा में भाजपा के पास तथा नेशनल कॉन्फ्रेन्स के पास लडने का एक ही विषय होगा, जिसे विकास कहते हैं। हिन्दुओं को अपने भाई मुसलमानों का और मुसलमानों का हिन्दुओं का विश्वास प्राप्त करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेन्स के चीफ का कथन है कि हमें हिन्दुओं का विश्वास जीतना होगा, यह स्पष्ट संकेत देता है कि सभी लोग जम्मू कश्मीर राज्य के विकास को देखना चाहते हैं।

जहां कांग्रेस बांटने की बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेन्स वे भाजपा आपसी भाईचारे से राज्य के विकास के सुनहरे सपने देख रहे हैं। समय दूर नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को शीघ्र प्राप्त होगा। योगी की वाणी कारगर होगी न हम बटेंगे और न कटेंगे हिन्दू मतदाता मिलकर वोट देंगे उनके वोट कटेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर सबसे अधिक विकसित राज्य होगा। यह वहीं स्थान होगा जिसे किसी समय धरती का स्वर्ग कहा जाता था।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in